

कार्यालय तहसीलदार, सदर

चन्दौली (उ.प्र.)

प्रारूप - 1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र संख्या (पि0 जाति) - 862133-

014025

स. नि. क्षेत्र अलीनगर

की जांच आख्या दि. 01-Oct-2013



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी संजय कुमार यादव

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी- श्री

हरगोविन्द यादव

निवासी ग्राम बार्ड नं0 13 अलीनगर

तहसील सदर

नगर चन्दौली

जिला चन्दौली

उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर

पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी संजय कुमार यादव

पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-2 (जैसा कि उ. प्र. लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता को निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पचास लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 ने यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी संजय कुमार यादव

सह/अवकाश उत्तम परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम

बार्ड नं0 13 अलीनगर

तहसील सदर

नगर चन्दौली

जिला चन्दौली

ने सामान्यतया रहता है।

स्थान : तहसील सदर, चन्दौली

दिनांक 04-Oct-2013

गुहर



र0 सं0 05/8079-02/10

नोट:- यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> पर प्रमाणित कर सत्यापित किया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र संख्या Tehsil-Sadar/Chandauli : 82711573148726

उपरोक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शा.नं. 2700 वालीस 1-81 13/271/70 दि 1-9-81 के अन्तर्गत तहसीलदार सक्षम अधिकारी है।